राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः– एफ 13 (4) पंरावि/विधि/मिटिंग/2016/2178 जयपुर, दिनांकः– 26.8.16

कार्यवाही विवरण बैठक दिनांक 22.08.2016

दिनांक 22.08.16 को सायःकाल 3.00 बजे प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कक्ष में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, जोधपुर/जयपुर द्वारा पारित निर्णयों पर अपील/नो अपील बाबत विचार–विमर्श कर निर्णय लेने हेतु बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए :–

1 श्री कमलेश छगाणी , विशिष्ट शासन उप सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
2 श्री लक्ष्मीनारायण कुमावत, वरिष्ठ शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग।
3 श्री एस.जेड शाहिद, उप शासन सचिव–वित्त (नियम) विभाग।
4 श्री सेवाराम स्वामी, उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (विधि), पंचायती राज विभाग।

(1) **एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5092/16 दयाकृष्ण नागर व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.16**

प्रकरण ग्राम पंचायत सिमली, पंचायत समिति, बारां तत्कालीन संरपच, ग्राम सेवक एवं कनिष्ठ अभियंता द्वारा सी.सी.रोड के निर्माण में की गई अनियमितता से संबंधित है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनियमितताओं की जॉच किये जाने के पश्चात् जॉच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगणों से 21,77,505/– रूपये की वसूली के लिए आदेश दिनांक 10.03.16 को जारी किये गये। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगणों ने माननीय न्यायालय में रिट याचिका दायर कर यह अनुतोष चाहा गया है कि उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 10.03.16 पारित किया गया है। अतः प्रार्थीगणों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जावे। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.16 के द्वारा यह अभि निर्धारित किया गया है कि सी.सी.रोड एवं अन्य निर्माणों के निरीक्षण में प्रार्थी के केवल भाग लेने मात्र से रिकवरी के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाना नही कहा जा सकता, प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की पालना के अंतर्गत नोटिस के साथ में आरोपों की विशिष्टतियॉ भी आवश्यक है , जिसका वर्तमान प्रकरण में अभाव है। अतः दिनांक 10.03.16 के आदेश को

निरस्त किये जाने के योग्य है। साथ ही विभाग को यह स्वतंत्रता दी गई है कि Show cause notice देकर प्रार्थी से रिकवरी की जा सकती है।

समिति द्वारा प्रकरण कें सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार विमर्श करने के पश्चात् एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 5092/16 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.16 के विरूद्व अपील दायर नही करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में विहित नियमानुसार आवश्यक रूप से अपचारी कार्मिकों को नोटिस तामिल करा समयबद्व रूप से जॉच कार्यवाही पूर्ण करायेगे।

(2) 1. **एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3019/15 शिवलाल लबाना बनाम राजस्थान राज्य व अन्य।**

2. **एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3020/15 श्याम लाल माथट बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित इकजाई निर्णय दिनांक 14.06.16**

प्रार्थीगणों द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 लेवल प्रथम, द्वितीय में जिला परिषद, प्रतापगढ़ से एस.बी.सी./ओ.बी.सी वर्ग से आवेदन किया। प्रार्थी को परीक्षा में 147.10 मार्क्स प्राप्त हुये और ओ.बी.सी की कटऑफ 129.8 है तथा आरटेट में 62 प्रतिशत अंक है प्रार्थी का अंतिम चयन सूची में चयन होने के बावजूद नियुक्ति इस कारण से नही दी गई कि प्रार्थी का जन्म दिनांक 10.12.1978 है, इस प्रकार आवेदन के समय आयु सीमा 35 वर्ष पूर्ण कर ली गई है। प्रार्थी द्वारा रिट याचिका दायर कर यह अनुतोष की मांग की है कि उसे ओ.बी. सी. वर्ग में आयु छूट का लाभ प्रदान करते हुये नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की खण्ड संख्या 10 (1) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी या सामान्य वर्ग के महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। केटेगरी वाइज रिर्जवेन्शन का संबंध आयु सीमा से नही है, बल्कि आयु सीमा में छूट का लाभ राजस्थान की अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग को उपलब्ध है। विज्ञापन की खण्ड संख्या 10 (1) के अनुसार प्रार्थी टी.एस.पी. एरिया में रिर्जव सीट के साथ–साथ आयु में 5 वर्ष की छूट पाने का हकदार है। अत' प्रत्यर्थी के यह निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी की अभ्यर्थना को भर्ती विज्ञापन की खण्ड संख्या 10 (1) के संबंध में विचार करने के आदेश दिये है।

समिति द्वारा प्रकरण कें सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार विमर्श करने के पश्चात् उक्त प्रकरणों में पारित इकजाई निर्णय दिनांक 14.06.16 के विरूद्व अपील दायर नही करने का निर्णय लिया गया।

(3) <u>एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8976/14 शैतान सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.16</u>

प्रार्थी ने कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में जिला परिषद, बांसवाड़ा से अनारक्षित वर्ग आवेदन किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रार्थी का दिनांक 28.05.13 को बुलाया गया है। जिसमें प्रार्थी का नाम नम्बर 482 पर अंकित था। प्रार्थी ने दिनांक 28.05.13 को दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के समय आर.एस.सी.आई.टी का प्रमाण पत्र पेश नही किया। प्रार्थी ने दिनांक 01.06.13 को आर.एस.सी.आई.टी का प्रमाण पत्र पेश किया गया। जिसको समिति द्वारा विचार में नही लिया गया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा रिट याचिका दायर की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.12.14 पारित करते हुये निर्देश दिया कि एक सीट प्रार्थी के लिए आरक्षित रखी जाये। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.16 को अंतिम निर्णय सुनाते हुये कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में मामले के लंबित रहते हुये कोई नियुक्ति प्रदान नही की जा सकती है। अंतिम सूची बनाये जाने से पूर्व प्रार्थी के आर.एस.सी.आई.टी के प्रमाण पत्र पर विचार करने एवं जब भी विभाग के द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती प्रकिया प्रारम्भ की जाये, नियुक्ति पर विचार किया जाये।

समिति द्वारा प्रकरण कें सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार विमर्श करने के पश्चात् एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 8976/14 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.16 के विरूद्व अपील दायर नही करने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव
ग्रा.वि.एवं पंचायती राज विभाग

(कमल छगाणी)
विशिष्ट शासन उप सचिव
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

(लक्ष्मीनारायण कुमावत)
वरिष्ठ शासन उप सचिव
कार्मिक विभाग

(एस.जेड.शाहिद)
उप शासन सचिव
वित्त (नियम) विभाग

(सेवाराम स्वामी)
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (विधि)
पंचायती राज विभाग